# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0

रा0प्र0क्र013/अ–62/2024–25

वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ0ग0)

आवेदक .......................

प्रति

01. शैलेष कुमार
02. अशोक कुमार
03. संतोष कुमार
04. अजय कुमार
सभी आ0 रामगोपाल निवासी ग्राम करैया तहसील दरिमा
जिला सरगुजा (छ0ग0)
05. विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम
निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर
जिला सरगुजा (छ0ग0)

अनावेदकगण ...........................

**//आदेश//**

**(पारित दिनांक 18/03/2025)**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 377 अम्बिकापुर दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से बताया गया है कि दिनांक 07/03/2025 को ग्राम मेण्ड्राकला में अवैध रूप से नीलगिरी काष्ठ के भंडारण मात्रा लगभग 60,000 घ.मी. इमारती एवं 50.000 घ.मी. जलाउ पाया गया एवं 02 नग ट्रक सी0जी0 CG04QB-3286 एवं ट्रक क्रमांक UP21DT3363 पूरी तरह से भरे पाये गए। जांच करने पर पाया गया कि नीलगिरी प्रजाति के काष्ठ ग्राम पंचायत करैया, लब्जी एवं भाटापारा के कृषक क्रमशः 01. शैलेष कुमार 02. वीरेन्द्र कुमार 03. अशोक कुमार 04. संतोष कुमार 05. अजय कुमार के निजी भूमि खसरा क्रमांक 630/2 एवं खसरा क्रमांक 446/2 में स्वरोपित नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के वृक्षों की कटाई कर परिवहन कराकर ग्राम मेण्ड्राकला में भण्डारित किया गया है। वन क्षेत्र से आवेदित वृक्षों की कटाई नहीं कि गई है। कृषक सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना ही वृक्षों की कटाई कर लिये है।

वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा के पत्र778 के अनुसार प्रकरण दर्ज कर अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अनावेदकगण क्रमशः 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. संतोष कुमार 04. अजय कुमार के द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस के जवाब में बताया गया है कि ग्राम करैया तहसील दरिमा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 630/2 रकबा 0.0610 हे0 भूमि पर स्थित नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के वृक्षों को आवेदकगण के द्वारा 778लगाया गया था जो लम्बे एवं झुकने के कारण उनकी जड़े कमजोर हो गई थी जिनके वजह से अचानक दो से तीन वृक्ष गिर गये

शैलेष कुमार
एक प्रति प्राप्त किया



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

और बाकी वृक्ष गिरने के कगार में थे जिसके कारण 13 नग पुराने वृक्षों को अनावेदकगण के द्वारा अज्ञानता वश उन्हे कटवा दिया गया, उक्त वृक्षों को काटे जाने के संबंध में अनावेदकगणों के द्वारा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के बाद आवेदित वृक्षों को काटा गया है। आवेदित वृक्षों से कृषि कार्य करने में परेशानी उत्पन्न होने के कारण बिना अनुमति के आवेदित वृक्षों को काटा गया है। इसी प्रकार अनावेदकगण क्रमांक 05 विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा अपने जवाब में बताया गया है कि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 446/2 रकबा 0.240 हे0 भूमि पर स्थित नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के वृक्ष को आवेदक के द्वारा लगाया गया था जो पुराने एवं लम्बे होने के कारण झुकने के कगार पर थे जो कुल 10 नग थे जिनमें से एक दो वृक्ष को मेरे द्वारा अज्ञानता वश काट लिया गया है। अनावेदकगण के द्वारा ग्राम पंचायत लब्जी भाटापारा से उक्त 10 नग वृक्षों के परिवहन की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें ग्राम सरपंच के द्वारा दिनांक 28/02/2025 को परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। अनावेदकगण के द्वारा अपने जवाब में बताया है कि उनके द्वारा अज्ञानता वश वृक्षों को काटा गया है अनावेदकगण के द्वारा अपने जवाब पर सहानुभूमि पूर्वक विचार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण क्रमशः 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. अजय कुमार 04. संतोष कुमार सभी आ0 रामगोपाल निवासी ग्राम करैंया तहसील दरिमा के द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम करैया तहसील दरिमा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 630/2 रकबा 0.061 हे0 एवं अनावेदक क्रमांक 05 विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 446/2 रकबा 0.240 हे0 भूमि स्थित कुल वृक्षों को छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 में वर्णित प्रावधानों के उल्लघंन में काटा गया है जिसकी सूचना अनावेदकगण द्वारा इस कार्यालय में न तो दी गई है और न ही सक्षम अनुमति प्राप्त किया गया है। उक्त काटे गये नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के वृक्षों को परिवहन कर ग्राम मेण्ड्राकला में धान मंडी के पास तीलक राम आ0 बुधराम रजवार के निजी भूमि पर संग्रहण कर अवैध रूप से भंडारण किया गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर के द्वारा भंडारित लगभग 60.000 घन मीटर ईमारती लकड़ी एवं 50.000 घन मीटर जलाउ लकड़ी को एवं 02 नग ट्रक क्रमांक CG04QB-3286 एवं ट्रक क्रमांक UP 21 DP 3363 में पूरी तरह से भरे पाये गये। परिवहन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा उपरोक्त लकड़ी एवं वाहन को जप्त की गई है अनावेदकगणों क्रमशः 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. अजय कुमार 04. संतोष कुमार सभी आ0 रामगोपाल निवासी ग्राम करैंया तहसील दरिमा 05. विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर से जवाब लिया गया उनके द्वारा उपरोक्त वृक्षों को कृषि कार्य में परेशानी एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए काटा जाना बताया गया है।

अतः अनावेदकगण क्रमशः प्रथम भूमिस्वामी 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. अजय कुमार 04. संतोष कुमार सभी आ0 रामगोपाल निवासी ग्राम करैंया तहसील दरिमा के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 630/2 रकबा 0.061 हे0 एवं द्वितीय भूमि स्वामी अनावेदक क्रमांक 05. विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर के स्वत्व एवं आधिपत्य की भमि खसरा क्रमांक 446/2 रकबा 0.240 हे0 भूमि पर



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

काटे गए अवैध रूप से नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के जलाउ लकड़ी एवं 02 नग ट्रक सी0जी0 CG04QB-3286 एवं ट्रक क्रमांक UP21DT3363 पूरी तरह से भरे पाये गए। छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के उल्लंघन में काटे जाने के कारण उनके विरूद्ध छ0ग0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 के तहत अनावेदकगण कमांक 01 से 04 कमशः 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. अजय कुमार 04. संतोष कुमार सभी आ0 रामगोपाल को संयुक्त रूप से रू0 25000 (पच्चीस हजार) रूपये एवं अनावेदक कमांक 05 विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम को रू0 25000 (पच्चीस हजार) रूपये से अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अनावेदकगणों द्वारा उपरोक्त अधिरोपित अर्थदंड की राशि को निर्धारित शीर्ष में जमा किये जाने पर जप्त वाहन CG04QB-3286 एवं ट्रक कमांक UP 21 DP 3363 को मुक्त किया जाता जाता हैं, चालान की प्रति दिखाने पर ही परिवहन की अनुमति मान्य होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

पृ0 कमांक 463 /A / वाचक–03 / 2025 अम्बिकापुर दिनांक 17 / 03 / 2025

प्रतिलिपिः–

01. वन मण्डलाधिकारी सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ।
02. उप वन मण्डलाधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ।
03. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ।
04. तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ।
05. आवेदकगण कमशः 01. शैलेष कुमार 02. अशोक कुमार 03. अजय कुमार 04. संतोष कुमार सभी आ0 रामगोपाल निवासी ग्राम करैंया तहसील दरिमा एवं 05 विरेन्द्र कुमार आ0 सुखराम निवासी ग्राम लब्जी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बिकापुर